महत्वपूर्ण एवं खास

31 मार्च तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें, रेस्टॉरेंट एवं होटल बार

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 26 से 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2)विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घ एवं एफ.एल.-3 होटल बार)दुकाने भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

धरमजयगढ़ में राशन, फल, दवाई एवं गैस की घर पहुंच सेवा प्रारंभ

» प्रशासन ने बनायी व्यवस्था

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं लोगों की सहुलितय के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सामग्री के लिए घर पहुंच सुविधा उपलब्ध करा रही है। एसडीएम धरमजयगढ़ ने जनसामान्य को सूचित करते हुए कहा है कि धरमजयगढ़ नगरीय सीमा क्षेत्र अंतर्गत जिन परिवारों को राशन, फल, दवाई एवं गैस की आवश्यकता हो तो वे एक पर्ची में सामग्री का नाम एवं मात्रा लिखकर निम्न नंबरों में व्हाटसअप कर सूचित कर सकते है। सीएमओ धरमजयगढ़-94255-71897, तहसील कार्यालय धरमजयगढ़-70005-13282, 82693-48335, विकास शुक्ला-94241-81279 में संपर्क कर राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री अपने घरों तक मंगवा सकते है।

कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वक्फबोर्ड की अपील, मस्जिदों में नहीं बढ़ाएं भीड़, लाउड स्पीकर से न दें अजान

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना के खतरे को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से मस्जिदों में भीड़ न बढ़ाने की अपील की है। इसके साथ ही यह फैसला भी किया गया कि अज़ान लाऊड स्पीकर से न देते हुए बैरूने मस्जिद दी जाए। अपील का पालन कराने बोर्ड ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय में चेयरमैन सलाम रिजवी ने प्रदेश के तमाम मुफ्तियों के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के संबंध में अहम बैठक ली। इस दौरान शरीअत और हदीस के हवाले से फैसला किया गया कि मस्जिदों में फर्ज नमाजों में जमात की तादाद कम से कम रखी जाए, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। राज्य वक्फबोर्ड ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि जब तक कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक सभी लोग अपने-अपने घरों में रहें। बीमारी से बचने के लिए दुआ करें, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान में भीड़ इकट्ठा न होने दें। ज्यादा जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। शासन-प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्यता से करें। वक़्फ़ बोर्ड मस्जिदों के हौज को खाली कराने की भी अपील की, जिससे लोग उसमें वुजू न कर सकें. बच्चों को मस्जिद में न लाएं और बुजुर्ग भी घर पर नमाज अदा करें।

निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का अधिग्रहण आदेश निरस्त

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के अधिग्रहण संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से गुरुवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का अधिग्रहण संबंधी आदेश लिपिकीय त्रुटिवश जारी हो गया था जिसे निरस्त किया जाता है।

विदेश से आकर सार्वजनिक स्थानों में घुमता रहा युवक,अपराध दर्ज

» होम क्वांरटाईन में रहने के निर्देशों का किया उल्लंघन

रायपुर (आरएनएस)। विदेश से आकर सावर्जनिक स्थानों पर घूमने वाले भाठागांव निवासी एक और युवक के खिलाफ राजधानी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। युवक निर्देश के बाद भी होम क्वांरटाईन में न रहकर घुमता नजर आ रहा था। जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के वाल्फ ोर्ट सिटी भाटागांव का रहने वाला है।

सुविधा के साथ सुरक्षा पर फोकस, बेहतर हुई व्यवस्था

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोविड -19 या नोवेल कोरोना के संक्रम ण से शहरवासियों को बचाने प्रशासनिक अमले ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्तव्य पालन की मिसाल पेश करते अधिकारी अल सुबह से लेकर आधी रात तक राहत व बचाव कार्यो की समीक्षा बैठक से लेकर फील्ड तक मे निरंतर निगरानी करते देखे जा रहे हैं।

प्रशासनिक अफसरों के चेहरे और हाव भाव से उनकी समर्पित कर्तव्यपरायणता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर को लॉक डाउन की स्थिति मे जरुरी चीजों की सुविधाजनक आपूर्ति के साथ सुरक्षा और सतर्कता की दिशा मे नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र गुप्ता भी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने मे जुटे देखे जा रहे हैं।

» सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य

निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने 21 दिनों की तालाबंदी के बीच शासन की ओर से आम नागरिकों को मिली 4 घंटे की सहूलियत पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुये नगरवासियों की सुविधा के साथ सुरक्षा की भी कार्ययोजना पर अमल शुरु किया है। महज दो दिवस के भीतर शहर के सभी दिशाओं मे जरुरत की वस्तुओं के लिए वैकल्पिक बाजार की संख्या 24 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। साथ ही व्यवसाय के दौरान व्यवसायी व खरीदारों के बीच एक मीटर का सोशल डिस्टेंस निर्धारित करते हुये स्थान चिन्हित किये गये हैं। इसके अलावा आयुक्त राजेन्द्र गुप्ता के द्वारा दो दर्जन से ज्यादा निगम कर्मचारियों को छुट की अवधि मे बाजार स्थल पर तैनात किया गया है।

सभी पार्षदों के माध्यम से 50 हजार नागरिकों को निशुल्क मास्क उपलब्ध कराना और महामारी के खौफ के बीच शहर मे सफाई व्यवस्था निर्बाध रखने की चुनौती से निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता लगातार जूझ रहे हैं। आयुक्त गुप्ता के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ जिला प्रशासन को भी इस रुप मे मिल रहा है कि लॉक डाउन की स्थिति मे करीब डेढ़ लाख शहरवासियों की दैनिक आवश्यकता व बाजार क्षेत्र मे धारा 144 लागू होने की सूचना के साथ इसे प्रभावी तथा व्यवस्था सुधार का जिम्मा राजेन्द्र गुप्ता को कलेक्टर द्वारा पूरे विश्वास के साथ सौंपा गया है। इस चुनौती की घड़ी मे आयुक्त गुप्ता नवपदस्थ व अनुभव मे कमजोर अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करते देखे जा रहे हैं।

नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध मे मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत नागरिकों की सुरक्षा के प्रयास मे झोंक दी है।

ग्राहकों से अधिक पैसा लिया तो होगी कार्यवाई

बाजार में खाद्य सामग्रियों की कीमतों को लेकर भी प्रशासन काफी सख्त है।आम उपभोक्त ाओं द्वारा अधिक रेट मे फल सब्जी आदि डेलिनीड्स के वि य की शिकायत पर निगम आयुक्त राजेन्द्र गुप्ता ने गुरुवार को शहर के ढिमरापुर, इतवारी बाजार,सतिगुड़ी चौक समेत वि ी के लिए चिन्हांकित तमाम बैकल्पिक स्थलों पर पहुंचकर आलू प्याज आदि सब्जियों के मनमाने दाम वसूली पर रोंक लगाते हुए उचित निर्धारित दर पर ही वि य करने की नसीहत दी।उन्होंने बाजारों मे मौजूद ग्राहकों से भी मिलकर मूल्यों की जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता एवं टीम द्वारा सभी वि ेताओं को चेतावनी भी दी गयी कि यदि किसी ने ओव्हर रेटिंग या जमाखोरी की तो उसके खिलाफकठोर कार्यवाई की जाएगी।बहरहाल निगम आयुक्त गुप्ता की स ि यता से बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को नगर की आम जनता को काफी राहत मिली।

फसल कटाई के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को दूर करने दिशा-निर्देश जारी

» फसल कटाई यथासंभव मशीन से करने की अपील

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वर्तमान में विभिन्न फसलों की हो रही कटाई को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई कार्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फसल कटाई यथासंभव मशीन चलित उपकरणों से की जाए। हस्त चलित कटाई उपकरण काम में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से कीटाणु रहित करें। फसल कटाई में सोशल डिसटेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। खेत में फसल काटने, खाना खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जाए। खाने के बर्तन अलग-अलग रखें तथा उनके प्रयोग के पश्चात साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करें।

एक व्यक्ति द्वारा काम लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कदापि काम में न ले। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने-अपने उपकरण ही काम में ले।

कटाई के दौरान बीच-बीच में अपने हाथों को साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करते रहें। कटाई कार्य अविध में पहले दिन पहने कपड़े दूसरे दिन काम में न लें। काम में लिए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने के पश्चात ही पुनः उपयोग किया जाए, कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अपनी-अपनी पानी की बोतल रखें।

कटाई करने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हैं तो उसे फसल कटाई कार्य से अलग रखें तथा तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को सूचित करें। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी व साबुन की उपलब्धता रखें। थ्रेसिंग कार्य के दौरान भी उपरोक्त अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, खाने व पानी पीने के बर्तनों का प्रयोग आदि सभी सावधानियों का पूर्ण गंभीरता से पालन करने को कहा गया है।

कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे है लोग

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए है। जिसे लोग गंभीरता से लेते हुए उसका पालन करने लगे है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कोतरीमाल में अपने घर के बाहर रंगोली से लक्ष्मण रेखा खीच घर पर रहे सुरक्षित रहें का संदेश देती महिला पीडीएस गोदाम तेलीपाली में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाये गये है सुरक्षा घेरे, घरेलू निस्तार के लिए पानी लेते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करती हुई ग्राम तरडा की महिलाएं, पुसौर में घरेलू महिलाओं द्वारा किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

विदेश यात्रा से वापस आ रहे नागरिकों की हो रही निगरानी

» 1 नागरिक में पाया गया कोरोना का संक्रमण

दुर्ग (आरएनएस)। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए विदेश यात्रा से वापस आये नागरिकों का चिन्हांकन कर कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जा रही है।

26 मार्च तक विदेश यात्रा से आये 271 यात्रियों का दुर्ग जिले में चिन्हांकन हो गया है। इनमें से 91 नागरिकों ने होम आइसोलेशन की 14 दिवस की अनिवार्य अवधि पूरी कर ली है। 180 व्यक्ति वर्तमान में होम आइसोलेशन/ क्वारन्टीन में हैं। केवल 41 व्यक्तियों में सर्दी-खांसी के सामान्य लक्षण मिले हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। इनमें से 20 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हो चुकी है। 20 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी है। एक नागरिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से वापस आया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसे यात्री के संपर्क में रहे हैं तो उनके लिए 14 दिवस का होम आइसोलेशन/क्वारन्टीन अनिवार्य है ऐसे व्यक्ति घर से न निकले न ही किसी से मिले जुले। ऐसे व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 पर तत्काल जानकारी दें ताकि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर एहतियात संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना नगरीय निकाय के निदान के टोलफ्री नंबर 1100 में भी दी जा सकती है।

कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि कम से कम घर से बाहर निकले। साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन करें ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके।

शहर में राशन की होम डिलीवरी सुविधा प्रारंभ

» प्रातः 8 से 12 बजे के बीच संबंधित नंबरों पर संपर्क कर घर तक मंगवा सकते है राशन

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)से बचाव तथा लोगों की सुविधा के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर के नागरिकों के लिए राशन सामग्री की घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा को बेहतर प्रबंधन के साथ उपयोग करें। इस हेतु आयुक्त नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जनसामान्य राशन सामग्री की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने हेतु प्रति दिवस प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फर्म बिग बाजार कमेन्द्र सिंह के मोबा.नं.88823-21695 एवं 84339-84207 तथा डी.एस.मार्ट निखील अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल मोबा.नं.93292-50555 एवं 78049-68666 में संपर्क कर सकते है। ज्ञात हो कि होम डिलीवरी हेतु वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही रहेंगे, किसी भी घर में एक दिन में सिर्फ एक बार डिलीवरी की जाएगी।

कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में राशन की व्यवस्था रखने के दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिला रायगढ़ में धारा 144 लागू किया गया है तथा बीते 25 मार्च 2020 की मध्य रात्रि से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक आगामी 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने हेतु आदेशित किया गया है। संपूर्ण जिला रायगढ़ में लाकडाऊन होने के कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र एवं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चांवल एवं 25-50 किलो ग्राम दाल (आवश्यकतानुसार)तत्काल व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया है तथा जिले के संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पडने पर मूलभूत की राशि अथवा 14 वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन (चांवल, दाल, सब्जी)व्यवस्था करने एवं अति आवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन (चांवल, दाल, सब्जी) उपलब्ध भी कराने हेतु आदेशित किया है।

पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। लाक डाउन के दौरान भी लोग आपसी मतभेदों को दूर करने के बजाय पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट कर रहे हैं।

मौदहापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विजय गुप्ता आयु 32 पिता पवन गुप्ता निवासी रेनबसेरा के सामने जोरापारा रायपुर को जोरापारा निवासी आरोपी बाबुलाल संकु चिंटू एवं उनके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते शक्तिमंदिर जोरापारा के पास रास्ता रोककर जमकर पिटाई की उक्त मामले में थाना मौदहापारा ने आरोपी के खिलाफ 294, 323 एवं 34 के तहत मामला कायम किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-